फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

आई सी आई सी आई बैंक लि. बनाम अशोक कुमार चौधरी व अन्य

प्रकरण संख्या 239/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
20.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बैंक द्वारा जारी पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि का भुगतान कर दिया गया है। अतः प्रार्थी बैंक की ओर से प्रस्तुत धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर प्रत्याहार किये जाने के आदेश फरमावे। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया सम्पूर्ण ऋण राशि जमा करा देने से प्रार्थी बैंक ने धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रत्याहार किये जाने का अनुरोध किया है। इसलिए प्रार्थी बैंक के अनुरोध पर धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)	

Scanned with OKEN Scanner